

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

संख्या :- 1419 (प०)/४६

दिनांक :- 29-06-2011

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मे० जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, अशोक पथ, अशोक नगर, रांची परियोजना के लिए प्रस्तावित (537 हेक्टेयर क्षेत्र वनभूमि घाटकुरी रिजर्व फॉरेस्ट + 2.13 हेक्टेयर क्षेत्र कोनवेयर कोरीडोर) कुल 539.13 हेक्टेयर क्षेत्र वन भूमि घाटकुरी रिजर्व फॉरेस्ट के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्रामसभा को व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सीमा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3-(1) (म) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।




उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,
वन अधिकार अधिनियम, 2006